

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 3/2017

उनवान

1. सुगनी पत्नी हीरा,
2. पोखरमल,
3. प्रभुदयाल पि० हीरा,
4. सीता पत्नी पूरणमल,
5. पंकज,
6. देवेन्द्र,
7. सुनिल,
8. सुमन पि० पूरणमल,
9. लाडा,
10. गीता,
11. मीरा,
12. हरिराम पि० हीरा समस्त जाति रेगर नि० बनेवडा नसीराबाद

— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हीरा जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
2. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 अधिवक्ता श्री नितेश यादव
2 जरियें राज० पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 13.5.24


वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम बनेवडा की आराजी के संयुक्त खातेदार/काश्तकार है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
536/503	किता 8	1.60
256/241	किता 4	2.24

उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी में दर्ज है। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी की पुश्तैनी है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। जिस कारण प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे हैं। तथा आराजी



—2


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब के समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।


अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।


बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का कथन है कि हरजी पुत्र हिमता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ही है। आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी अविभाजित है जिसका विभाजन राजस्व अभिलेख में नहीं हुआ है। वादीगण उक्त आराजी का विभाजन कराना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई खण्डन पेश नहीं किया है। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में जवाब/खण्डन पेश नहीं किया। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादी अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी पेश कर सकते हैं। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन न्यायोचित है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खाता संख्या 536/503 किता 8 रकबा 1.60 व 256/241 किता 4 रकबा 2.24 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुगनी बनाम जगदीश प्रसाद

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 03/2017

पेश करने की दिनांक - 04.01.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई नितेश यादव व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम बनेवडा के खाता नम्बर 536/503 किता 8 रकबा 1.60 व 256/241 किता 4 रकबा 2.24 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

दस्तावेज दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद